

न्यायालय उप तहसीलदार पीलवा (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी - राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का कुण्डरी

बनाम

अप्रार्थी प्रभुराम कानाराम निवासी कुण्डरी अन्तर्गत धारा 91 भूराजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 112 / 2018

निर्णय दिनांक 9.10.18

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का कुण्डरी ने अप्रार्थी के विरुद्ध टी. पी. रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सम्वत् 2075 में सरहद कुण्डरी के खसरा नम्बर 281 में किरम जे. मु. रास्ता मेंसे रकबा 0.0150 हेक्ट भूमि में पत्थर डालना लगाकर अतिक्रमण किया है। जिस पर धारा 91 एल. आर. एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को धारतों राजह सबूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी प्रभुराम से नोटिस तामीन लेने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी / अधिवक्ता श्री — ने दिनांक — को उपस्थित होकर तबाब दावा प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवम निरीक्षक भू.अ. द्वारा प्रमाणित हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया गया कि अप्रार्थी का ग्राम कुण्डरी खसरा नम्बर 281 में किरम जे. मु. रास्ता मेंसे रकबा 0.0150 हेक्ट भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 14/- रुपये प्रति हेक्ट की दर से अतिक्रमित रकबा — हेक्ट भूमि के 0.24 रुपये लगान का 50 गुणा 12 / - अक्षरे 914E रुपये बतौर जुर्माना दण्डित किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को कमशः मांग वाचणी व वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर इजराय की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 9.10.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप तहसीलदार पीलवा

जिला नागौर